न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/185

1. बालमुकुन्द आत्मज शिवनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. सुरेश आत्मज शिवनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. मुकेश आत्मज शिवनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. मनोज आत्मज शिवनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. ग्यारसी बाई पत्नी शिवनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. शैर सिंह आत्मज निर्भय सिंह जाति राजपूत निवासी जे0 पी0 कॉलोनी रंगपुर रोड कोटा जंक्शन ।
2. नरेन्द्र प्रताप सिंह आत्मज महेन्द्र प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी लोको कॉलोनी कोटा जंक्शन ।
3. मिथलेश कुमारी पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद जी शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से ।
3. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 03 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 25.08.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट के पिता मृतक शिवनारायण ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा

नम्बर 627 की 1.35 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण व अन्य खातेदारान के शामलाती कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि है । उक्त आराजी में वादी का 1/7 अविभाजित हिस्सा दर्ज चला आ रहा है । पूर्व में कुल 06 किता की 2.37 हैक्टर भूमि में वादी का 1/7 हिस्सा था जिसके तहत 0.3385 हैक्टर भूमि होती है । उक्त भूमि का आज से लगभग 43 वर्ष पूर्व तत्कालीन सहखातेदारान ने आपसी सहमति से मौखिक रूप से पारिवारिक विभाजन कर लिया था । उक्त विभाजन के अनुसार वादी को हाल खसरा नम्बर 187 की 0.28 हैक्टर में से 0.11 हैक्टर भूमि भदाना से किशनपुरा तकिया जाने वाली सडक से लगी हुई तथा खसरा नम्बर 627 की 1.35 हैक्टर भूमि में से 0.2285 हैक्टर भूमि रोटेदा रोड से लगी हुई प्राप्त हुई थी जिस पर वादी का आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि के अन्य सहखातेदारान ने अपने हिस्से की भूमि से अधिक भूमि का बेचान कर दिया । प्रतिवादी कम 03 विभाजन का दावा पेश कर रखा जिसमें वादी ने अपना जवाबदावा पेश कर दिया है । उक्त वाद के जैरकार रहते सहखातेदार केसरी लाल ने खसरा नम्बर 627 की भूमि में से 1/7 हिस्से की भूमि का बेचान कर दिया । उक्त बेचान अवैध है एवं वादी के हितों के विरूद्ध प्रभावहीन है । वादग्रस्त आराजी पर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आज तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण वादी को उसके हिस्से व कब्जे की 0.2285 हैक्टर रोटेदा से लगी भूमि से बेदखल करने, कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने व मना करने पर लडाई झगडा करने पर आमादा हैं और कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत करते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । वादी को आवश्यक हो गया है कि वह प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 627 की रकबा 1.35 हैक्टर भूमि में से 0.2285 हैक्टर रोटेदा रोड के सहारे की भूमि से बेदखल नहीं करे तथा वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे । शामलाती खाते व कब्जे काश्त की भूमि में बिना विभाजन करवाये वादी के कब्जे की भूमि पर अथवा उसके किसी भू–भाग पर निर्माण कार्य नहीं करे । किसी प्रकार से किस्म परिवर्तन नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी कम 1, 2 व 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 211 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खसरा नम्बर 627 रकबा 1.35 हैक्टर भूमि को शामलाती खाते की बताते हुए स्वयं के 1/7 हिस्सा दर्ज अविभाजित बताते हुए प्रस्तुत किया है । उक्त आराजी कृषि भूमि में अन्य सहखातेदार अमरलाल आत्मज जगन्नाथ को पक्षकार वाद में व प्रार्थना पत्र में नहीं बनाया गया है जिसके संदर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 211 में आदेशात्मक प्रावधान है जिसके संदर्भ में पक्षकार बनाये बिना वाद व प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है । अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र अन्य सहखातेदारों को पक्षकार न बनाया जाने के कारण विधि बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जावे ।

5. प्रतिवादीगण कम 1, 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का वादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया गया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14.03.2018 के द्वारा प्रतिवादीगण कम 1, 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वाद वादी खारिज कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.03.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सनुवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किये बिना आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना को स्वीकार कर वाद वादी खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत वाद का तनकीयात कायम करने के बाद तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही दावा खारिज किया है । वादग्रस्त आराजी के अपीलान्ट सहखातेदार हैं और उनको विभाजन में खसरा नम्बर 187 की रकबा 0.28 हैक्टर में से 0.11 हैक्टर भूमि भदाना से किशनपुरा तकिया जाने वाली सडक से लगी हुई व खसरा नम्बर 627 की 1.35 हैक्टर भूमि में से 0.2285 हैक्टर भूमि रोटेदा रोड से लगी हुई प्राप्त हुई । इस आराजी में रेस्पोडेन्टगण अपीलान्ट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने हेतु पाबन्द करने के लिए दावा पेश किया था और उसको आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए खारिज किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय को जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर दावे का निस्तारण करना चाहिए था । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2018 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2011 (2) पेज 1395, आरआरटी 2003 (1) पेज 633, डीएनजे 2015 (एससी) पेज 242, आरबीजे 2000 पेज 219 उद्वरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि बंटवारे का एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार है जिसमें अपीलान्ट अपना पक्ष रख सकते हैं । सहखातेदार के खिलाफ पृथक से स्थायी निषेधाज्ञा का दावा मेन्टेनेबल नहीं है । सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार अनिवार्य है । अपील में भी उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2018 बहाल रखा जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट क्रम 03 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि बंटवारे का दावा साक्ष्य प्रतिवादी में लम्बित है । धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार समस्त सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाना अनिवार्य है । ऐसी स्थिति में विधिक रूप से दावा मेन्टेनेबल नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2018 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2011 (2) पेज 1203, डीएनजे 2003 (1) (एससी) पेज 107, आरएलडब्ल्यू 2008 (2) पेज 2008, आरएलडब्ल्यू 2013 (1) पेज 81 उद्वरत की ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादी ने एक दावा स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था और पत्रावली के साथ जो नकल जमाबन्दी संलग्न की है उसमें वादी व प्रतिवादी के अलावा अन्य सहखातेदार भी हैं जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश किया था जिसमें यह कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 627 में दर्ज अन्य सहखातेदार अमरलाल को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 211 के तहत अनिवार्य है । ऐसी स्थिति में दावा मेन्टेनेबल नहीं है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 211 के अनुसार संयुक्त खाते की आराजी में समस्त सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाना अनिवार्य है । धारा 188 के दावे में धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार समस्त सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाना अनिवार्य है । इस कारण दावे एवं उसके साथ संलग्न जमाबन्दी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दावा विधिक प्रावधानों के अनुसार मेन्टेनेबल नहीं है ।

13. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने जो नजीरें उद्वरत की हैं उसमें से आरआरटी 2011 (2) पेज 1395 में यह होल्ड किया गया है कि न्यायालय को स्वयं यह परीक्षण करना चाहिए कि दावा मेन्टेनेबल है अथवा नहीं । आरआरटी 2003 (1) पेज 633 में यह होल्ड किया गया है कि प्रतिवादी को आपत्तियॉ जवाबदावे में उठानी चाहिए । माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा डीनएनजे 2015 (एससी) पेज 242 में यह होल्ड किया है कि दावे का अवलोकन करके ही यह निश्चित किया जाना चाहिए कि दावा आदेश 07 नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार मेन्टेनेबल है अथवा नहीं । प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय प्रतिवादी के द्वारा पेश किये गये जवाबदावे व उनके दस्तावेज को नहीं देखा जा सकता है । दावे का अवलोकन कर यह निर्धारण किया जाना चाहिए कि दावा विधिक प्रावधानों के अनुसार मेन्टेनेबल है अथवा नहीं । माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी इस नजीर की रोशनी में इस प्रकरण में दावा एवं उसके साथ संलग्न नकल जमाबन्दी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि समस्त सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिसके अभाव में धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार धारा 188 का दावा मेन्टेनेबल नहीं है । रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरटी 2011 (2) पेज 1203, डीएनजे 2003 (1) (एससी) पेज 107 यहॉ चस्पा होती हैं ।

14. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि दावे की मद संख्या 04 के अनुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन का दावा परीक्षण न्यायालय में जैरकार है । ऐसी स्थिति में विभाजन के दावे में ही वादी को विभाजन उपरान्त स्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना करनी चाहिए ।

15. इन तथ्यों के अधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दावा मेन्टेनेबल नहीं होने के आधार पर खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2018 बहाल रखा जाता है ।

17. निर्णय आज दिनांक 25.08.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/8/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/185

1. बालमुकुन्द आत्मज शिवनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. सुरेश आत्मज शिवनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. मुकेश आत्मज शिवनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. मनोज आत्मज शिवनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. ग्यारसी बाई पत्नी शिवनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. शेर सिंह आत्मज निर्भय सिंह जाति राजपूत निवासी जे0 पी0 कॉलोनी रंगपुर रोड कोटा जंक्शन ।
2. नरेन्द्र प्रताप सिंह आत्मज महेन्द्र प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी लोको कॉलोनी कोटा जंक्शन ।
3. मिथलेश कुमारी पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद जी शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय दिनांक एवं डिक्री दिनांक 14.03.2018 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा ।

ख्याः 109 / दावा / 2016

शिवनारायण आत्मज जगन्नाथ जी जाति धाकड निवासी किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. शेर सिंह आत्मज निर्भय सिंह जाति राजपूत निवासी जे0 पी0 कॉलोनी रंगपुर रोड कोटा जंक्शन ।
2. नरेन्द्र प्रताप सिंह आत्मज महेन्द्र प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी लोको कॉलोनी कोटा जंक्शन ।
3. मिथलेश कुमारी पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद जी शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक एवं डिक्री दिनांक 14.03.2018 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 25.08.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम नागर अपीलान्ट की ओर से एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से अभिभाषक श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा एवं रेस्पोडेन्ट कम 03 की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश नन्दवाना के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14. 03.2018 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 25.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

25.08.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा